न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं. 18/22 मुथरी बनाम नरसी वगै.

किस्ममुकदमा– धारा 53,188 राज.काश्त. अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.22	यह वादपत्र , अभिभाषक श्री मुकेश सिंह ने प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन (SUMMON) जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 07.04.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) दिनांक 7/4/22 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राज कार्य [illegible] होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 6-5-22 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
06/05/22	पत्रावली पेश हुई। वादिया व उसके अभिभाषक को बार-बार न्यायालय समय तक आवाज दिलवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ इससे प्रतीत होता है कि वादिया अपने वाद के प्रति गंभीर नही है एवं अब इसे आगे नही चलाना चाहती है। अतः वाद वादिया व उसके वकील में से कोई उपस्थित नही होने के कारण अदम-हाजरी, अदम-पैरवी में खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

Scanned with CamScanner